



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 09 जुलाई, 2024

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना गुलावठी

गौकशी में वांछित बदमाश से थाना गुलावठी पुलिस की हुई मुठभेड, क्रॉस फायरिंग में एक गौकश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद।

जनपद मे तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 08/09-07-2024 की रात्रि को थाना गुलावठी पुलिस टीम एक अभिसूचना पर नत्थूगढ़ी पुल के पास सिकन्द्राबाद-गुलावठी मार्ग पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि उसी समय हापुड़ हाईवे बाइपास की तरफ से एक बाइक पर संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसको रुकने का इशारा किया गया तो नही रुका तथा बाइक को पीछे कि तरफ मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया तो बदमाश अपनी बाइक को नत्थूगढ़ी मार्ग से कच्चे रास्ते की तरफ मोड़कर भागने लगा तभी कुछ दूरी पर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गयी जिस पर बदमाश द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसको घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान बिलाल पुत्र नूर इलाही निवासी मौ० पीर खां कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर के रूप में हुई हैं। जिसको उपचार हेतु सीएचसी गुलावठी में भर्ती कराया गया।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शातिर किस्म का गौकश अपराधी है। जो थाना गुलावठी पर पंजीकृत मुअसं-111/24 धारा 3/8 गौवध निवारण अधि० व मुअसं-190/24 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट में लगातार वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी के निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- बिलाल पुत्र नूर इलाही निवासी मौ० पीर खां कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस।

2- 01 बाइक स्पलेण्डर प्लस (रजि०-UP14-BC-7838)

अभियुक्त बिलाल का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-11/14 धारा 379/411/504 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं-215/15 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मुअसं-216/15 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 4- मुअसं-217/15 धारा 420/467/468 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 5- मुअसं-292/17 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 6- मुअसं-38/18 धारा 3/1(द) उ०प्र० गुण्डा अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 7- मुअसं-43/18 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 8- मुअसं-204/18 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 9- मुअसं-366/18 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

- 10- मुअसं-634/19 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 11- मुअसं-08/20 धारा 307 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 12- मुअसं-13/20 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 13- मुअसं-357/20 धारा 2/3 गैंग्स्टर अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 14- मुअसं-158/22 धारा 307 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 15- मुअसं-159/22 धारा 3/5(क)/8 गौवध निवारण अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 16- मुअसं-111/24 धारा 3/8 गौवध निवारण अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 17- मुअसं-90/24 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
- 18- मुअसं-237/24 धारा 109/317(2)/317(5)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गुलावठी पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

थाना गुलावठी पुलिस टीम-

1. श्री यशपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना गुलावठी।
2. उ०नि० राजेन्द्र कुमार, उ०नि० नीरज त्यागी।
3. है०का० मेघ सिंह, है०का० मनोज कुमार, का० अमित कुमार।



मीडिया सेल बुलंदशहर